न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/12

1. संजीव पुत्र रामसिंह,
2. सुमेर सिंह पुत्र नौरंग,
3. बुली उर्फ सुनिता पुत्री प्रेमचन्द,
4. मुनी उर्फ पूनम पुत्री प्रेमचन्द, समस्त जाति जाट, निवासीयान ग्राम देसूसर, प्रतापुरा बगड़ तहसील झुन्झुनू राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. तहसीलदार तहसील झुन्झुनू जिला झुन्झुनू राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री हेमन्द दीक्षित एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 10.08.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बरान 183, 188, 189, 175/387 एवं 175,/388, 343 स्थित ग्राम देसूसर के काबिज खातेदार, काश्तकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 पारित किया है जो पूर्णतयः विधि विधान, पत्रावली एवं तथ्यों के विपरित एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी कतई ध्यान नही दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार को एवं धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उपखण्ड अधिकारी को अधिकार केवल सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर ही अधिकार प्राप्त है अन्यथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश सरासर कानूनी के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 07.12.2021 को जब मौके पर विपक्षीगण ने आकर अपीलार्थीगण को यह कहा कि हमने खसरा

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 183, 188, 19, 175/387, 175/388 एवं 343 स्थित ग्राम देसूसर में से रास्ता राजस्व रिकार्ड में दिनांक 19.05.2017 को ही दर्ज कर लिया है तथा हम तुम्हारी फसल उथल देंगे तथा नया रास्ता कायम कर लेंगे जिस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 09.12.2021 को वकील से सम्पर्क कर उक्त आदेश की जानकारी हेतु उपखण्ड धिकारी झुन्झुनू के न्यायालय में कार्यवाही की, तब पता चला कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि से खातेदारान को बिना सुने ही रास्ता निकाल दिया है तथा उसके बाद उक्त आदेश दिनांक 19.05.2017 की नकल तैयार करके प्रामाणित नकलें दिनांक 10.12.2021 को प्राप्त की एवं जयपुर आकर अभिभाषक से अपील हेतु सम्पर्क किया इस कारण अपील जानबुझकर लापरवाहीवश विलम्ब से प्रस्तुत नही की जा रही बल्कि जानकारी के अभाव में विलम्ब हुआ है जो न्यायहित में उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए क्षमा योग्य है। इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 को निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये रिकार्ड एवं मौके की सही वस्तुस्थिति का अध्ययन व अवलोकन करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय किये जाने हेतु रिमाण्ड फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में मौके पर चालू रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये थे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार कश्तकार है जिन्हे बिना पक्षकार बनाये तथा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा पारित

P.T.O.

सभापति आयुक्त
जयपुर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2017 को अपीलार्थीगण की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।